

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2019/

पीठारसीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 4.2.19


209

प्राथीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गोमाराम 2 मोटाराम 3 पोकरराम पिसरान गोरधनराम जाति जाट निवासी जालीपा आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।		1 नारायणराम 2 नानगाराम 3 खरथाराम पिसरान जोधाराम 4 हडमानराम 5 बगताराम पिसरान भगवानाराम 6 पुरखाराम 7 रेखाराम पिसरान आदाराम 8 कानाराम 9 पैमाराम 10 वीरमाराम 11 ताजाराम पिसरान सुखाराम 12 मेहाराम 13 मालाराम पिसरान रासिंगाराम 14 आसूदेवी पत्नी मालाराम 15 जुगताराम पुत्र खुमाराम 16 सोनाराम पुत्र डूंगराराम 17 पदमाराम 18 मालाराम 19 बगताराम पिसरान चेतनाराम जाति जाट निवासी जालीपा आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 750/2018 दिनांक- 01.01.2019

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 211/12 वर्तमान खसरा संख्या 349/12 रकबा 27.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निर्दिष्ट (विर्षाकाल) में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2019/

210-2/3

दिनांक- 4.2.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चूली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गोमाराम पुत्र गोरधनराम बगौराह जाति जाट निवासी जालीपा आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी नारायणराम पुत्र जोधाराम बगौराह जाति जाट निवासी जालीपा आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर